

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 14/08/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पंचायत, बिहियाँ के कुल 05 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹213.800 लाख (दो करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹35.188 लाख (पैंतीस लाख अठारह हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

दिनांक- 01.02.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन नगर पंचायत, बिहियाँ के 05 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।

2. उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक- 261, दिनांक- 18.06.2019 के द्वारा नगर पंचायत, बिहियाँ के 05 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। निर्धारित 05 वार्ड, वार्ड नं०- 02, 05, 06, 10 एवं 13 के कुल 1690 घरों में गृह जल संयोजन एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव (बिजली बिल सहित) हेतु कुल ₹213.800 लाख (दो करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, बिहियाँ के 05 वार्डों के कुल 1690 घरों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹213.800 लाख (दो करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से तथा शेष 50 प्रतिशत राशि नगर निकाय के पास उपलब्ध 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि में से व्यय किया जाएगा।

साथ ही विभागीय विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि रख-रखाव की राशि (बिजली बिल सहित) की आवश्यकता निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा जालपूर्ति प्रारम्भ होने के उपरांत होगी। अतः आवंटित राशि में से रख-रखाव की राशि को हटाकर सहायक अनुदान के रूप निम्नवत् स्वीकृति दी जाती है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	रख रखाव की राशि (बिजली बिल सहित)	शेष राशि (2-3)	राज्यांश मद से तत्काल स्वीकृत राशि (25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	213.800	73.048	140.752	35.188

4. उक्त के आलोक में नगर पंचायत, बिहियाँ के 05 वार्डों में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु ₹213.800 लाख (दो करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश मद से तत्काल ₹35.188 लाख (पैंतीस लाख अठारह हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)					
नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	राज्यांश मद से आवंटित की जाने वाली राशि (50 प्रतिशत)	तत्काल स्वीकृत राशि (25 प्रतिशत स्वीकृत)	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
नगर पंचायत, बिहियाँ	नगर पंचायत, बिहियाँ के 05 वार्डों (वार्ड सं०- 02, 05, 06, 10 एवं 13) में पूर्ण रूप से हर घर नल का जल उपलब्ध कराने एवं पाँच वर्षों तक के रख-रखाव की स्वीकृति।	213.800	106.900	35.188	71.712
<b>कुल योग</b>		<b>213.800</b>	<b>106.900</b>	<b>35.188</b>	<b>71.712</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत ₹35.188 लाख (पैंतीस लाख अठारह हजार आठ सौ रु०) मात्र।

5. उक्त स्वीकृत ₹35.188 लाख (पैंतीस लाख अठारह हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक-19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, बिहियाँ के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहियाँ द्वारा कार्यकारी एजेंसी, लोक

स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।
9. उक्त स्वीकृत राशि ₹35.188 लाख (पैंतीस लाख अठारह हजार आठ सौ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष -01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष 0103- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215017890103, विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में की जाएगी।
10. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-**
  - (i) योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा।
  - (ii) प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।
  - (iii) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
  - (iv) जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।
  - (v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, विभाग का नाम, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

*at*

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/जला०-01-59/2016 के पृष्ठ सं०-.....13...../टि० पर दिनांक-06-08-19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....15...../टि० पर दिनांक-09-08-19 को प्राप्त है।
13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. इसकी सूचना सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहियाँ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
13.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-59/2016 63 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-14-08-19  
प्रतिलिपि:- सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहियाँ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल-जल निश्चय योजना)/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी- 02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०एस० को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.08.19  
सरकार के विशेष सचिव।

Y.K

2/